



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/731

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S ANSH KRISHI UDYOG AND FEBRICATERS : - INFRONT INDIAN GAS GODAM, MAIDANI
HUZUR REWA(MP)-486001 **CONTECT PERSON** - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	165000	29700	194700	165000	8250	31185	204435
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** -

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** — प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

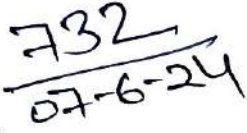
No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।


नितिन सिंहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :- 

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S ANSH KRISHI UDYOG AND FABRICATORS** : - INFRONT INDIAN GAS GODAM, MAIDANI
HUZUR REWA(MP)-486001 **CONTACT PERSON** - SMT YOGITA SINGH MO-9131889282




प्रबंधक (विपणन)



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/ 634

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI ENTERPRISES : OFFICE ADD- 6/5 CHOTI GWAL TOLI INDORE
CONTECT PERSON- ANSHUL MITTAL MO- 9827728815, 7999553033

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।



- (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
- (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।



5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।




नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7/6/2024

प्रतिलिपि :-

675
07-6-24

:: 04 ::

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S BALAJI ENTERPRISES : OFFICE ADD- 6/5 CHOTI GWAL TOLI INDORE**
CONTECT PERSON- ANSHUL MITTAL MO- 9827728815, 7999553033




प्रबंधक (विपणन)
7/6/2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/672

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाइन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA - 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI
MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP)
CONTECT PERSON - RITESH VYAS : 7000351200, 9584301120

CONTACT PERSON - RITESH VYAS : 7000351200, 9887555555

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	165000	29700	194700	165000	8250	31185	204435
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
4. **सामग्री की गुणवत्ता** -

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** — प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।


नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

673
07-6-24

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S BALAJI LAGHU UDYOG AND KRISHI YANTRA** - 185 AGAR ROAD IN FRONT OF R.D. GARDI MEDICAL COLLEGE VILL. SURSA DISTT. UJJAIN (MP) **CONTACT PERSON - RITESH VYAS** : 7000351200, 9584301120




प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/ 670

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाइन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S GANGA INDUSTRIES : OFFICE ADDRESS - NEAR KRISHI UPAJ MANDI, A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP) CONTACT PERSON - MANOJ RAJANI : 9425048585							
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE		
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6
YATRI PRATIKSHALAY							
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164
SWAGAT DWAR							
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243
2	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 07.06.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.09.2024) तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

- (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
- (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
- (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।



5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।




नितिन मोहगांवकर
 प्रबंधक (विपणन)
 7.6.2024

प्रतिलिपि :-

671
07-6-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S GANGA INDUSTRIES : OFFICE ADDRESS - NEAR KRISHI UPJ MANDI,**
A.B. ROAD, DEWAS - 455001 (MP) CONTECT PERSON - MANOJ RAJANI : 9425048585




प्रबंधक (विपणन)



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/676

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

**M/S HINDUSTAN FABRICATORS : OFFICE ADDRESS : B-13 SHIVAJI NAGAR,
BHOPAL - 462016 CONTECT PERSON : ABHISHEKH GOUD - 9039099059**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	165000	29700	194700	165000	8250	31185	204435
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
4. **सामग्री की गुणवत्ता** -
 - (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण कराएंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराएंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।


 नितिन मोहगावकर
 प्रबंधक (विपणन)
 7.6.2024

प्रतिलिपि :-

677
 07-6-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S HINDUSTAN FABRICATORS : OFFICE ADDRESS : B-13 SHIVAJI NAGAR, BHOPAL - 462016** **CONTECT PERSON : ABHISHEKH GOUD - 9039099059**




 प्रबंधक (विपणन)
 7-6-2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/229

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाइन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S JAY COMPANY : OFFICE ADDRESS - 62, BARWANI ROAD, ANJAD, DIST. BARWANI (MP)								
CONTACT PERSON- SHRI DEEPAK PATIDAR MO-9993332450								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 07.06.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.09.2024) तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।



(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

- (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
- (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।
- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।



5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।



नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

230

:: 04 ::

प्रतिलिपि :-

07-6-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S JAY COMPANY : OFFICE ADDRESS** - 62, BARWANI ROAD, ANJAD, DIST. BARWANI
(MP) **CONTACT PERSON-** SHRI DEEPAK PATIDAR MO-9993332450



प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/770

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S KAPIL FURNITURE : OFFICE ADDRESS - 13/2, KACHHI MOHALLA, BEHIND DISTRICT COURT INDORE (MP) CONTACT PERSON - DEEPAK MATHOLIYA (MANAGER) - 8877131515

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
3	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	182270	32809	215079	182270	9114	34449	225833
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	182080	32774	214854	182080	9104	34413	225597
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
4. **सामग्री की गुणवत्ता** -
 - (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण कराएंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराएंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।


नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

प्रतिलिपि :-

701
07-6-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S KAPIL FURNITURE** : - 13/2, KACHHI MOHALLA, BEHIND DISTRICT COURT INDORE
(MP) **CONTACT PERSON** - DEEPAK MATHOLIYA (MANAGER) - 8877131515


प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024





M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/702

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. : OFFICE ADD - PLOT NO - 20 AKVN ACHARPUR INTHKHEDI BHOPAL CONTECT PERSON-LAKHAN THAKUR - MO - 9827811197

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
3	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
4. **सामग्री की गुणवत्ता** -
 - (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केंद्र से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।


नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)

प्रतिलिपि :-

203
03-6-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S KPL EQUIPMENTS PVT. LTD. : OFFICE ADD - PLOT NO - 20 AKVN ACHARRPUR
INTHKHEDI BHOPAL CONTECT PERSON-LAKHAN THAKUR - MO - 9827811197**




प्रबंधक (विपणन)



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/ 684 दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),

क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाइन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES : OFFICE ADD - VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI DISTT -SAGAR 470118 CONTECT POESON-NARAYAN SINGH MO - 9981471295

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	165000	29700	194700	165000	8250	31185	204435
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 07.06.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक 06.09.2024) तक लागू रहेंगी।

2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

(ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।

(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** -

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण कराएंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराएंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केंद्र से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

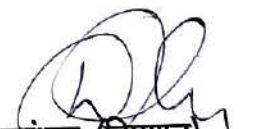
इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।


नितिन माहगावकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

प्रतिलिपि :- 685
07-6-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S MAHALAXMI SOLAR ENTERPRISES : VILLAGE POST KHIMLASA TEHSIL KHURAI**
DISTT -SAGAR 470118 **CONTECT POESON-NARAYAN SINGH** MO - 9981471295




प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024



मुख्या / विपणन / यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार / 2024-25 / 694

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S NEW BUNDELKHAND AGRO INDUSTRIES : OFFICE ADDRESS - BLOCK 17, LAHTWAS ROAD, KHIMLASA DISTT. SAGAR CONTECT PERSON - PRAMOD AHIRWAR - 6264231700

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्त, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता -**

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** — प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केंद्र से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

695
07-6-24


नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S NEW BUNDELKHAND AGRO INDUSTRIES** - BLOCK 17, LAHTWAS ROAD, KHIMLASA
DISTT. SAGAR **CONTACT PERSON** - PRAMOD AHIRWAR - 6264231700




प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/ 686

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

**M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATORS : OFFICE ADDRESS - 81 BASANT VIHAR,
DHAR CONTACT PERSON- MUJIB UR REHMAN KHAN MO- 9425046639**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	165000	29700	194700	165000	8250	31185	204435
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	182270	32809	215079	182270	9114	34449	225833
5	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	182080	32774	214854	182080	9104	34413	225597
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
3	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कर एवं विक्रय दरें लागू कर (जी.एस.टी, झ्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कंट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता -**

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/क्रेता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

687
07-6-24


नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S NEW MALWA AGRO & FABRICATORS : OFFICE ADDRESS - 81 BASANT VIHAR, DHAR** **CONTECT PERSON- MUJIB UR REHMAN KHAN MO- 9425046639**




प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024



23

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/737

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S A-ONE WELDING WORKS, OFFICE ADD - BALWADI, TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI(MP) - 451666 CONTACT PERSON - SAIFUDDIN MO-9090919158, 9098669158

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।

जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।



(स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

(अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।

(ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।

(स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

(अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करावेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करावेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।



5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।




नितिन मेहगांवकर
 प्रबंधक (विपणन)
 7.6.2024

प्रतिलिपि :-

738
07-6-24

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S A-ONE WELDING WORKS, BALWADI, TEHSIL SENDHWA WARLA ROAD, DISTT. BADWANI(MP) - 451666** **CONTECT PERSON - SAIFFUDDIN** MO-9090919158, 9098669158



प्रबंधक (विपणन)
7-6-2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP19695GC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/नम

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

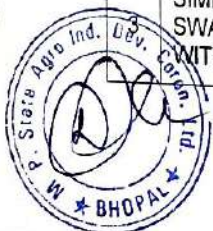
जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाइन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S PANCHAL ENGINEERING WORKS: KHASRA NO. 112/3/311 VILLAGE CHIKALI, TEHSIL. BADNAGAR, DIST. UJJAIN **CONTACT PERSON** - PANNALAL PANCHAL : 9131832751

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
3	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTIN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** -

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण कराएंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत कराएंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** — प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरान्त संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरान्त **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

228
6-6-24

नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7-6-2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PANCHAL ENGINEERING WORKS: KHASRA NO. 112/3/311 VILLAGE CHIKALI, TEHSIL. BADNAGAR, DIST. UJJAIN CONTECT PERSON - PANNALAL PANCHAL : 9131832751**



प्रबंधक (विपणन)
7-6-2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/ 680

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S PUNA IRON INDUSTRIES, OFFICE ADDRESS : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) CONTECT PERSON - RAMAKANT PANDEY : 9090871100

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	165000	29700	194700	165000	8250	31185	204435
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850
5	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	182270	32809	215079	182270	9114	34449	225833
6	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	182080	32774	214854	182080	9104	34413	225597
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।
4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेंसी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केंता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S PUNA IRON INDUSTRIES** : IN FRONT OF PANDEY BUILDING, BADABAGH, NEEM CHOWK REWA (MP) **CONTECT PERSON** - RAMAKANT PANDEY : 9090871100



नितिन मोहपावकर
प्रबंधक (विपणन)
7-6-2024

प्रबंधक (विपणन)
7-6-2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/235

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

**M/S QUALITY ENTERPRISES : OFFICE ADDRESS : 13 MAHARANA PRATAP WARD,
GANJ BAZAR, KHANDWA CONTECT PERSON - AVINASH JAIN : 7987864806**

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
2	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 5 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	182270	32809	215079	182270	9114	34449	225833
3	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 6 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	182080	32774	214854	182080	9104	34413	225597
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाइन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** -

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** — प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **"भुगतान पश्चात् भुगतान"** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाईट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



05
1
2
3
4

8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

236
07-6-24


नितिन माहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S QUALITY ENTERPRISES : OFFICE ADDRESS : 13 MAHARANA PRATAP WARD, GANJ BAZAR, KHANDWA CONTECT PERSON - AVINASH JAIN : 7987864806**




प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024



मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विकय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S RAJ CHEMICAL INDUSTRIES : PLOT NO. 26-27, BAILGADI INDUSTRIAL AREA, MAHOBA BYPASS ROAD, CHHATARPUR (M.P.) CONTECT PERSON - RAJDEEP RICHHARIYA : 9617796889								
S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
3	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850

प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

- दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक 07.06.2024 से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक 06.09.2024) तक लागू रहेंगी।
- आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।

(अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पेनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।



- (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
- (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।

3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।

- (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
- (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टेगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
- (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।



5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केंद्र से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation

8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।

9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।

10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।



(Signature)
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

745

:: 04 ::

प्रतिलिपि :-

७-६-२५

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खदय प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S RAJ CHEMICAL INDUSTRIES** : PLOT NO. 26-27, BAILGADI INDUSTRIAL AREA, MAHOBA BYPASS ROAD, CHHATARPUR (M.P.) **CONTACT PERSON** - RAJDEEP RICHHARIYA : 9617796889



प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/ 698

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।
संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आकर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की कय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH : OFFICE ADDRESS 606/12 SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE (MP) - 452002 - **CONTACT PERSON** - PRAFULL PANCHAL : 9301535000

NAGAR, INDORE (MP) - 452002

CONTRACT NO.

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	165000	29700	194700	165000	8250	31185	204435
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
3	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
4	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483
	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 3 WITH SOLAR LIGHT	234866	42276	277142	234866	11743	44390	290999

Dev. Corp.



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त कय एवं विकय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात् दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रेक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** - प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** -

- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता द्वारा स्थापित किये



जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

- (ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** — प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरूपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. वारण्टी : आर.सी.ओ. की कंडिका क्रमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. दरों की एक मात्र मान्यता : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. अन्य नियम एवं शर्तें : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

699
07-6-24


नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (विपणन)
7/6/2024

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S SHREENATH AGRO AND BIOTECH : 606/12 SAMAJWADI INDIRA NAGAR, INDORE (MP) - 452002 - CONTECT PERSON - PRAFULL PANCHAL : 9301535000**




प्रबंधक (विपणन)
7/6/2024



M.P. STATE AGRO INDUSTRIES DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
PANCHANAN, 3RD FLOOR, MALVIYA NAGAR, BHOPAL-462003
☎ 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

मुख्या/विपणन/यात्री प्रतीक्षालय-स्वागत द्वार/2024-25/725

दिनांक : 07.06.2024

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त),
क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त),

विषय : प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार की दरों के प्रसारण के संबंध में।

संदर्भ : मुख्यालय द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु जारी आर.सी.ओ.
दिनांक 14.03.2024

निगम द्वारा प्री-फेब्रीकेटेड यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार हेतु "ऑन-लाईन" रेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफर आमंत्रित किया गया था, आफर में प्राप्त न्यूनतम एल-1 दरों के आधार पर समिति द्वारा की गयी अनुशंसा अनुसार निर्माताओं से सहमति प्राप्त कर अनुबंध संपादित किया गया है। अनुबंधित प्रदायक का विवरण एवं निगम की क्रय-विक्रय दरें FOR DESTINATION (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित निम्नानुसार रहेंगी :-

M/S VANDNA STEELWORKS, OFFICE ADDRESS : A-7/7, MAHAKAL VANIJYA KENDRA,
NANAKHEDA UJJAIN (MP) **CONTECT PERSON -** ARVIND PANCHAL : 9009007240

S.N.	NAME OF ITEM	PURCHASE PRICE			SELLING PRICE			
		BASIC PRICE	GST @ 18%	TOTAL PURCHASE PRICE (1+2)	BASIC PRICE	CORP. MARGIN @ 5% on Basic Price	GST on (4+5) @ 18%	FINAL SELLING PRICE (4+5+6)
		1	2	3	4	5	6	7
YATRI PRATIKSHALAY								
1	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 2 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	185000	33300	218300	185000	9250	34965	229215
2	PRE FABRICATED BUS SELTER MODEL 3 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	209800	37764	247564	209800	10490	39652	259942
3	PRE FABRICATED BUS SHELTER MODEL 4 WITH TWO 16 WATT LED SOLAR LIGHT	217797	39203	257000	217797	10890	41164	269850
SWAGAT DWAR								
1	SIMPLY SUPPORTED TYPE SWAGAT DWAR MODEL 1 WITHOUT SOLAR LIGHT	228800	41184	269984	228800	11440	43243	283483
2	SIMPLY SUPPORTED ACP SHEET FITTED SWAGAT DWAR MODEL 2 WITHOUT SOLAR LIGHT	217500	39150	256650	217500	10875	41108	269483



प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेंगी :-

1. **दरों की प्रभावशीलता** : उपरोक्त क्रय एवं विक्रय दरें समस्त कर (जी.एस.टी, ड्यूटी, अन्य व्यय), परिवहन/निरीक्षण शुल्क, सहित एफ.ओ.आर. डेस्टीनेशन (विकासखण्ड स्तर तक) पहुंचाकर प्रथम दर प्रसारण की दिनांक **07.06.2024** से आगामी 03 माह (अर्थात दिनांक **06.09.2024**) तक लागू रहेंगी।
2. **आदेश की प्रक्रिया** : जिला प्रबंधक प्रदायक/निर्माता कम्पनी की अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुए संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के पक्ष में "ऑन-लाईन" रेट कांट्रैक्ट ऑफर डाक्यूमेंट की शर्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल पर यात्री प्रतीक्षालय एवं स्वागत द्वार स्थापित करने का आदेश जारी करेंगे।
 - (अ) आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय शर्तें, वारण्टी अवधि, समयसीमा, पैनाल्टी की शर्त, प्रशासनिक स्वीकृति में उल्लेखित प्रदाय स्थल की जानकारी एवं निगम के GSTN नम्बर का स्पष्ट उल्लेख किया जावे।
 - (ब) जिला प्रबंधक यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदायक द्वारा आदेशित सामग्री का प्रदाय सही हालत एवं समयसीमा में किया जावे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जावे।
 - (स) क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा आदेश जारी करने के पूर्व यह अवश्य ध्यान रखा जावे कि जिला प्रबंधकों द्वारा जो मांग दी जा रही है वह निश्चित व्यवसाय के विरुद्ध है।
3. **सामग्री की प्रदायगी** – प्रदायगी क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित प्रदाय आदेश जारी करने के उपरांत प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा प्रदाय आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जावे।
 - (अ) प्रदायक द्वारा देयक पर निगम का GST NO. 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का भी उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है तो तदानुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक/निर्माता कम्पनी के देयक से की जावेगी।
 - (ब) प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा आदेशित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित करने के उपरांत देयक तीन प्रतियों में भुगतान हेतु संबंधित जिला प्रबंधक को प्रस्तुत किया जावेगा। देयक के साथ जियो टैगिंग फोटोग्राफ, पावती/संतुष्टि प्रमाण पत्र एवं थर्डपार्टी गुणवत्ता रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी होगी।
 - (स) आदेशित सामग्री का प्रदाय करते समय प्रदाय की जा रही सामग्री का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा। तदोपरांत पावती एवं संतुष्टि प्रमाण पत्र संयुक्त हस्ताक्षर से जारी किये जावेंगे।

4. **सामग्री की गुणवत्ता** –



- (अ) निगम के माध्यम से स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की गुणवत्ता के लिए प्रदायक/ निर्माता कम्पनी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। निर्माता

द्वारा स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में दिये गये स्पेसिफिकेशन, मापदण्ड अनुसार रहेंगे। गुणवत्ता के संबंध में किसी भी स्तर पर शिकायत प्राप्त होने पर इसकी सूचना जिला प्रबंधक संबंधित प्रदायक को देते हुए शिकायत का निराकरण करायेंगे एवं की गयी कार्यवाही से क्षेत्रीय प्रबंधक को अवगत करायेंगे। यदि समयसीमा में शिकायत का निराकरण संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी द्वारा नहीं किया जाता है तो क्षेत्रीय कार्यालय एवं निगम मुख्यालय को सूचित किया जावे, सामग्री की गुणवत्ता उचित मापदण्ड अनुसार नहीं होने पर संबंधित प्रदायक/निर्माता कम्पनी के विरुद्ध अनुबंध शर्तों एवं आर.सी.ओ. के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

(ब) सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. में उल्लेखित अधिकृत थर्डपार्टी एजेन्सी द्वारा किया जावेगा। गुणवत्ता परीक्षण रिपोर्ट प्रदायक द्वारा देयक के साथ संलग्न की जावेगी, जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा जारी आदेश की दिनांक एवं संख्या व अन्य का पूर्ण विवरण रहेगा। बिना परीक्षण रिपोर्ट के भुगतान नहीं किया जावेगा। निर्माता यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित थर्डपार्टी परीक्षण समय पर हो जावे इसके लिए वह स्वयं थर्डपार्टी को अग्रिम में सूचित करेंगे।

5. **भुगतान** – प्रदायक के देयक का भुगतान आदेश में उल्लेखित यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार स्थापित किये जाने के उपरांत संबंधित विभाग/केता से विधिवत पावती, संतुष्टि प्रमाण पत्र, जियोटेग फोटोग्राफ, थर्डपार्टी निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा निगम को पूर्ण राशि प्राप्त होने के उपरांत **“भुगतान पश्चात् भुगतान”** की शर्त पर निगम के संबंधित जिला प्रबंधक द्वारा किया जावेगा। अंतिम भुगतान के पूर्व किये गये कार्यों का 100 प्रतिशत निरीक्षण जिला प्रबंधक के द्वारा तथा 20 प्रतिशत निरीक्षण क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा अनिवार्यतः किया जावेगा।

6. **तकनीकी मापदण्ड** : सामग्री के तकनीकी मापदण्ड मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी आनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 में दिये गये हैं। आदेश के साथ तकनीकी मापदण्डों की प्रति भी संलग्न की जावे ताकि प्रदायक यह सुनिश्चित करे कि सामग्री उन्हीं तकनीकी मापदण्ड अनुसार स्थापित हो सके। (निगम द्वारा जारी आर.सी.ओ. एवं तकनीकी मापदण्ड की प्रति E-Mail पर भेजी जा रही है एवं निगम की वेबसाइट www.mpagro.org पर भी उपलब्ध हैं, का प्रिंट निकालकर एक प्रति रिकार्ड में रखे)

7. **अधिरोपित शास्ति** : In case the supplier does not produce the ordered material within the specified time limit penalty will be imposed as under :-

No.	WEEKS	Rate of penalty imposed
1	1 st to 2 nd week	0.25% per week
2	3 rd to 4th week	0.50% per week
3	5 th to 6 th week	0.75% per week
4	7 th to 8 th week	1.00 % per week
5	9 th to 10 th week	1.25 % per week or the order will be cancelled
6	11 th to 12 th week	1.50 % per week or the order will be cancelled
7	in Case the supplier refuse to supply the ordered material	Cancelling the supply order and 21% penalty will be imposed and recovered from the EMD or from the Payment to be paid from the other District of the corporation



8. **वारण्टी** : आर.सी.ओ. की कंडिका कमांक 14 अनुसार स्थापित किये जाने वाले यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार की वारण्टी अवधि 3 वर्ष रहेगी, का उल्लेख आदेश में आवश्यक रूप से किया जावे।
9. **दरों की एक मात्र मान्यता** : अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से स्थापना हेतु हैं, अन्य किसी विभाग द्वारा इन दरों पर व्यवसाय करने की स्थिति में निगम किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
10. **अन्य नियम एवं शर्तें** : उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य नियम एवं शर्तें मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी ऑनलाईन आर.सी.ओ. दिनांक 14.03.2024 अनुसार रहेंगी।

इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से मुख्यालय द्वारा यात्री प्रतीक्षालय/स्वागत द्वार हेतु जारी पूर्व की समस्त दरें निरस्त मानी जावेगी।

प्रतिलिपि :- 226
02-6-24

नितिन मोहगावकर
प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, उद्यानिकी एवं खद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, विन्ध्याचल भवन, भोपाल।
3. कलेक्टर (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
4. कलेक्टर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
5. संचालक कृषि अभियांत्रिकी, आफिस काम्पलेक्स, बी-ब्लॉक, गौतम नगर, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
6. निज सहायक मा. प्रबंध संचालक, मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
7. महाप्रबंधक (वित्त), मुख्यालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
8. **M/S VANDNA STEELWORKS, OFFICE ADDRESS : A-7/7, MAHAKAL VANIJYA KENDRA, NANAKHEDA UJJAIN (MP) CONTECT PERSON - ARVIND PANCHAL : 9009007240**



प्रबंधक (विपणन)
7.6.2024